

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, बरेली वृत्त, बरेली।
पत्र संख्या:- 1821 / 14-1, बरेली, दिनांक, 13 / नवम्बर / 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय - जनपद बदायूँ में मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) के कि०मी० 163 से 208 (400) तक के भाग में दो लैन से चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु मार्ग के दोनों ओर पडने वाले वृक्षों के पातन एवं 64.60 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपकी पत्र संख्या- 476/बदायूँ/23705/2017 दिनांक 18.08.2017.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या- 1406/5-3 दिनांक 08.11.2017 से इंगित आपत्ति/सूचनाओं का निराकरण आनलाईन एवं आफलाईन पूर्ण करते हुये संशोधित प्रस्ताव बिन्दुवार इस कार्यालय को उपलब्ध कराया है। प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव 03 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयक प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक:- प्रस्ताव 03 प्रति में।

भवदीय,

(वी०के० सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्या:- (1)/14-1, दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बदायूँ को उनकी पत्र संख्या- 1406/5-3 दिनांक 08.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बदायूँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी०के० सिंह)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।